P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika
E: ISSN NO.: 2349-980X Vol-II * Issue-XII*August-2015

# भारतीय लोकतंत्र में मध्यावधि निर्वाचन के प्रति देशव्यापी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन

**मन्जू तोमर**
सहायक प्राध्यापिका,
राजनीति विज्ञान विभाग,
अम्बाह पी.जी. कालेज,
अम्बाह, मोरेना

**सारांश**

भारतीय संविधान में लिखा है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर बनेगी। राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना गया। भारतीय संसद की यह व्यवस्था ब्रिटिश व्यवस्था से प्रभावित है। संविधान में ही राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को विघटित करने का अधिकार वर्णित है। भारतीय लोकतंत्र में अब तक 1971, 1980, 1991 तथा 1999 में समय से पहले लोक सभा को भंग करके मध्यावधि निर्वाचन का फैसला राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लिया गया है। मध्यावधि निर्वाचनों की घोषणा होने के साथ ही राष्ट्रीय दलों तथा राष्ट्रव्यापी प्रतिक्रियाऐं भी तेज हुयी। जिनका विश्लेषण प्रस्तुत शोध में करने का प्रयास किया गया है।

**मुख्य शब्द** : राजनीतिकदल, प्रतिक्रिया, मध्यावधि निर्वाचन, राष्ट्रपति, लोकसभा।

**प्रस्तावना**

भारत एक विशाल लोकतंत्र का घर है। हमारी शासन व्यवस्था संसदीय है, जिसे हमने ब्रिटिश शासन से लिया है। संसदीय शासन व्यवस्था वाले देश में कार्यपालिका का कार्यकाल अनिश्चित होता है, अर्थात उसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है।

राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होने के कारण संसद के सत्र को बुलाता है और स्थगित करता है। राष्ट्रपति को लोकसभा भग करने का अधिकार भी संविधान द्वारा प्राप्त है।

भारतीय संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि लोकसभा यदि पहले विघटित न कर दी जाये तो अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से पाँच वर्ष तक चालू रहेगी, राष्ट्रपति इस अवधि से पहले भी उसे विघटित कर सकता है। आपातकाल में इस अवधि को कुछ समय तक के लिए बढ़ा भी सकता है। जैसे कि 1976 में लोकसभा के कार्यकाल को बढाया गया। 1991 में तथा 1980 में भी इसकी पुनरावृत्ति हुई। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि लोकसभा की अवधि निश्चित होते हुये भी अनिश्चित है। भारत में अब तक 1971, 1980, 1991 तथा 1999 में मध्यावधि निर्वाचन हुये हैं। मध्यावधि निर्वाचनों में हुयी राष्ट्रीय दलों तथा राष्ट्रव्यापी प्रतिक्रियाऐं–

**1971 का मध्यावधि चुनाव और प्रतिक्रियाऐं इस प्रकार हैं:**

1971 के चुनावों से ही मध्यावधि चुनावों का सूत्रपात हुआ। यह अनुभव भारतीय राजनीति के लिए नया था। इस चुनाव को एक ओर साहसिक प्रजातन्त्रात्मक कार्य बताया गया वहीं दूसरी ओर इन चुनावों को देश पर अनावश्यक रूप से थोपा गया बोझ बताया गया।

**राष्ट्रीय दलों की प्रतिक्रियाऐं**

राष्ट्रपति वी0वी0 गिरि द्वारा लोकसभा भंग करने और मध्यावधि निर्वाचन कराने के निर्णय को लेकर देश में राष्ट्रीय स्तर पर निम्न प्रतिक्रियाऐं हुई–

1. प्रजा समाजवादी दल की विचार धारा थी कि लोक सदन को बहुमत दल समर्थक सरकार ही विघटित कर सकती है।
2. विरोधी पार्टियों के द्वारा राष्ट्रपति पर यह आरोप लगाया गया कि राष्ट्रपति अपना निर्णय लेने में सक्षम नहीं है।
3. मार्क्सवादी साम्यवादी दल प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी पर यह आरोप लगा रहे थे कि उन्हें तब तक सदन को विघटित करने का संवैधानिक अधिकार नहीं था जब तक देश में संवैधानिक संकट उत्पन्न नहीं होता है।
4. स्वतंत्र पार्टी के नेता मीनू मसानी के मत में अपनी आर्थिक असफलताओं के कारण एक वर्ष बाद पूर्ण पराजय की आशंकाओं ने ही प्रधानमंत्री को ऐसा निर्णय लेने के लिए बाध्य किया।

5. संगठन कांग्रेस नेता एस0के0 पाटिल का भी यही मत था कि चुनाव कराने का निर्णय अल्पमतीय सरकार को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेनी चाहिए थी।

विपक्षी दलों ने लोकसभा को विघटित करने के कदम पर संवैधानिक आपत्तियों तथा राष्ट्रपति के द्वारा स्वतंत्र निर्णय न लेने के लिए आलोचना की।

**राष्ट्रव्यापी प्रतिक्रिया**

संविधान के विशेषज्ञ न्यायशास्त्रियों अध्येताओं तथा राजनीतिज्ञों ने राष्ट्रपति के इस फैसल पर तीव्र प्रतिक्रियाऐं व्यक्त की यथा–

1. राष्ट्रपति वी0वी0 गिरि ने संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार ही निर्णय लिया है।
2. प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी की सरकार केवल आंकड़ों में ही अल्पमत में थी, संसदीय मंच पर नहीं।
3. प्रिवीयर्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया गया था। उसके लिये यह जरूरी हो गया था। कि सरकार जनता का अपने पक्ष में विश्वास प्राप्त करे।
4. विपक्षी दलों की स्थिति अच्छी न होने के कारण भी राष्ट्रपति के लिए वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना संभव नहीं था।
5. संसदीय शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिये भी यह जरूरी था कि प्रधानमंत्री की आवाज को महत्व दिया जाये।

इन प्रतिक्रियाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि देश की राजनीतिक अस्थिरता और अनिश्चिता की स्थिति तथा इन चुनावों के निर्णय ने राष्ट्रपति के निर्णय की औचित्यता को सिद्ध कर दिया।

**1980 का चुनाव और प्रतिक्रियाऐं**

मार्च 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सकार बनी लेकिन यह सरकार बहुत दिनों तक नहीं चली और आपसी फूट का शिकार हो गई। जुलाई 1979 में इसका पतन शुरू हो गया। शासन की बागडोर इसके बाद श्री चरण सिंह के हाथों में आइ लेकिन वह भी लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने में सफल नहीं हुये। अन्ततः 20 अगस्त 1979 में उन्होंने राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का परामर्श दिया। 22 अगस्त 1979 को लोकसभा भंग कर दी गई और मध्यावधि चुनाव कराना पड़ा।

**राष्ट्रीय दलों की प्रतिक्रियाऐं**

22 अगस्त 1979 को राष्ट्रपति द्वारा मध्यावधि चुनाव कराने के निर्णय को लेकर राष्ट्रीय दलों में तीव्र प्रतिक्रियाऐं हुयीं।

जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर का कहना था कि श्री संजीव रेड्डी राष्ट्र और लोकतंत्र के लिये कलंक है, उनके निर्णय से लोकतंत्र की हत्या हुई है। उन्हें हमने चुना है, इसीलिए आज शर्मिन्दगी महसूस कर रहे हैं।

जनता पार्टी के ही नेता जगजीवन राम ने इसे सुनियोजित षड़यंत्र करार दिया। डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने इस संविधान की हत्या बताया।

भूतपूर्व प्रधानमंत्री देसाई ने राष्ट्रपति के फैसले को संवैधानिक तथा परिस्थितियों के अनुकूल बताया, कांग्रेस (ई) के महासचिव बूटा सिंह ने लोकसभा भंग करने के फैसले को उचित बताते हुये उसका स्वागत किया। मार्क्सवादी नेता ज्योति बसु ने भी इस निर्णय का स्वागत किया।

**राष्ट्रव्यापी प्रतिक्रिया**

राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग करके मध्यावधि चुनाव कराने के निर्णय को सविधान विशेषज्ञों प्रख्यात विद्वानों विधिशास्त्रियों, लेखक, पत्रकार तथा समाजसेवी संगठनों में तीखी प्रतिक्रिया हुयी।

प्रसिद्ध न्यायविद् मुहम्मद करीम छागला की प्रतिक्रिया थी कि मध्यावधि चुनाव का निर्णय अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण और गलत है, चरण सिंह सरकार ने लोकसभा में बहुमत सिद्ध नहीं किया था। अतः विश्वसनीयता के अभाव में राष्ट्रपति सरकार की बात मानने के लिये बाध्य नहीं थे।

प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ नाना पालकी वाला ने कहा था कि राष्ट्रपति का निर्णय संवैधानिक अनौचित्य की हद तक गलत है। उन्हें सबसे बड़े दल के नेता को आमंत्रित किया जाना चाहिए था अथवा वह लोकसभा को अपना नेता चुनने का ऐतिहासिक संदेश दे सकते थे।

ऊषा मेहता ने धर्मयुग में 9 सितम्बर 1979 के अपने एक लेख में मैं 'नैतिक दृष्टि से निर्णय उचित नहीं' में लिखा है कि चरण सिंह सशर्त प्रधानमंत्री थे, उनको आमंत्रित करते समय वह शर्त लगाई गयी थी कि उन्हें लोकसभा में अपना विश्वास प्राप्त करना होगा। परन्तु चरण सिंह एक क्षण को भी लोकसभा में अपना विश्वास मत हांसिल न कर सके उन्हें लोकसभा भंग करने की सलाह देने का कोई अधिकार नहीं था।

इस निर्णय के पक्ष में भी प्रतिक्रियायें हयी जैसे संगठन अखिल भारतीय स्टूडेन्ट फेडरेशन, आदि ने इस कदम को सही ठहराया। नव भारत टाइम्स 23 अगस्त 1979 को अपने शीषक 'आम आदमी सुखी जनता पार्टी नाराज' में लिख कि आम आदमी ने राष्ट्रपति के इस निर्णय का स्वागत किया।

**मध्यावधि निर्वाचन 1991**

प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर ने 6 मार्च 1991 को अपनी सरकार का इस्तीफा राष्ट्रपति रामास्वामी वैंकटरमण को सौपकर राष्ट्रपति का लोकसभा भंग करने तथा पुनः निर्वाचन का सुझाव दिया जिसके कारण राजनीतिक दलों में प्रतिक्रियाऐं होना प्रारम्भ हो गयी।

**राष्ट्रीयदलों की प्रतिक्रियाऐं**

प्रधानमंत्रो के इस्तीफे के बाद विपक्षीदलों, राष्ट्रीय मोर्चा, वाम मोर्चा और बी0जे0पी0 के सांसदों के प्रतिनिधि मण्डल ने राष्ट्रपति से मिलकर तत्काल लोकसभा भंग कराके नये चुनावों की मांग शुरू कर दी।

**राष्ट्रव्यापी प्रतिक्रियाऐं**

प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर के बाद प्रमुख संविधान विशेषज्ञों ने अपने मत व्यक्त किये कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा को भंग कर नये चुनाव कराने की सलाह मानने से पहले एक स्थिर सरकार के गठन की संभावनाओं का पता लगाना चाहिए था। उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ वकील रामजेठमलानी ने कहा कि

राष्ट्रपति सरकार की सलाह मानने के लिए पूरी तरह बाध्य है।

राष्ट्रपति के निर्णय का मध्यप्रदेश में सभी राजनैतिक दलों द्वारा स्वागत किया गया तथा बिहार में भी राजनीतिक दलों द्वारा राष्ट्रपति के निर्णय का समर्थन किया गया।

**मध्यावधि निर्वाचन 1999**

26 अप्रैल 1999 को वाजपेयी सरकार के त्याग पत्र के पश्चात् विपक्ष वैकल्पिक सरकार का गठन करने में असमर्थ रहा ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने बारहवीं लोकसभा को भंग कर दिया जिसके कारण राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाऐं मिलनी प्रारंभ हो गयी।

**राष्ट्रीय दलों की प्रतिक्रियाऐं**

जैसे ही राष्ट्रपति क द्वारा लोकसभा भंग की घोषणा की गई, राजनीति दल की चुनावी जोड़–तोड़ की कोशिश में जुट गये। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने 15 मई 1999 का 'राष्ट्रीय जन तांत्रिक गठबंधन' के गठन की घोषणा कर दी। इसके अध्यक्ष श्री अटल बिहारी बाजपेयी बने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रस और दल की अध्यक्ष सोनिया गाँधी ने भी कुछ राजनीतिक दलों के साथ चुनावी समझौते किये।

**राष्ट्रव्यापी प्रतिक्रिया**

तेरहवीं लोकसभा का मध्यावधि चुनाव मतदाताओं के लिये एक चुनौती के रूप में सामने आया। जब–जब देश के द्वार पर चुनाव दस्तक देते हैं तब–तब राजनीतिक दलों में उथल–पुथल मचती है। इस बार जब राष्ट्रपति के द्वारा मध्यावधि चुनाव की घोषणा की गई तो देशवासियों को प्रसन्नता हुयी।

7 अप्रैल 1999 को श्री अटल जी की सरकार एक मत से पराजित हुयी। वह एक मत भी विवादास्पद रहा। विपक्ष भी जब सरकार न बना सका तो जनता न विपक्ष को एक षडयंत्रकारी माना। एक प्रमुख पत्रकार के शब्दों में ''जनता जानना चाहती थी कि कांग्रेस ने बाजपेयी सरकार क्यों गिराई और कांग्रेस इसका कोई संतोषजनक उत्तर देने में असफल रही। ऐसी स्थिति में जनता इस निष्कर्ष पर पहुँची कि सत्ता लोभी कांग्रेस जन न एक प्रधानमंत्री को जो भलीभांति कार्य कर रहा था। गिराने का षड़यंत्र किया।'' जनता के एक बहुत बड़े भाग ने सम्भवतः उसी दिन सोच लिया था कि इन विपक्षी दलों को सबक सिखाना है।

**निष्कर्ष**

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि जब भी देश ने मध्यावधि चुनाव का सामना किया है तब देश में असामान्य राजनीति उभर कर सामने आई है। प्रत्येक निर्वाचन की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों की जोड़–तोड़ तथा उनकी प्रतिक्रियाऐं शुरू हो गयी थी। इसके साथ ही देश की जनता–कानूनविद्, पत्रकार, विद्वान आदि जनों द्वारा भी कभी चुनाव का स्वागत किया गया तो कभी जोरदार विरोधी स्वर भी सुनाई दिये हैं। यथा–1971 के मध्यावधि चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा विरोध किया गया तो वही राष्ट्रव्यापी प्रतिक्रिया मिली जुली रही। 1980 के मध्यावधि चुनाव की घोषणा पर भी राजनीतिक दलों द्वारा तथा विरोध किया गया। इस चुनाव के प्रति राष्ट्र की प्रतिक्रिया स्वरूप इस चुनाव के फैसले को गलत बताया गया। 1991 तथा 1999 के मध्यावधि चुनाव के प्रति भी दलों की तथा राष्ट्र की प्रतिक्रिया मिली–जुली रही।

**सन्दर्भ ग्रन्थ सूची**

1. भारतीय संविधान।
2. डॉ. एम.पी. राय, डॉ. शशि के. जैन– भारतीय सरकार एवं राजनीति, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर।
3. डॉ. ब्रजेन्द्रप्रताप गौतम– जनादेश : 13वीं लोकसभा, भावना प्रकाशन दिल्ली।
4. शर्मा, सन्तोष– लोकसभा मध्यवधि चुनाव और राजनीतिक विशिष्ट वर्ग का दृष्टिकोण, स्वाति पब्लिकेशन दिल्ली।
5. कश्यप सुभाष – हमारी संसद भारत की संसद, एक परिचय नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली।
6. धर्मयुग, ऑफ इंडिया प्रेस बम्बई।
7. हिन्दुस्तान टाइम्स नई दिल्ली।
8. नव भारत टाइम्स नई दिल्ली।